2019/00188

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री नेमीचंद जैन पुत्र श्री रायचंद जैन
जाति जैन
निवासी जैन धर्मशाला के पास सिरोही रोड
तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 13 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.07.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 12.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कालन्द्री को दिनांक 18.12.1949 को पट्टे जारी करने का अधिकार था। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, कालन्द्री द्वारा दिनांक 18.12.1949 को 84 प्लॉटो के पट्टे जारी किये गये थे उक्त जारी भूखंडो पर किसी का कब्जा नही होने से सरकारी अस्पताल व विद्यालय बनने के पश्चात् कालन्द्री द्वारा जारी पट्टे कब निरस्त किये गये थे उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, कालन्द्री राजपुताना राज्य में कब शामिल हुआ व राजपुताना राज्य राजस्थान राज्य में कब मर्ज हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि एवं कालन्द्री द्वारा शा. कानमल पुत्र श्री कपुरचंद के नाम जारी पट्टा संख्या 55 प्लोट नम्बर 67 इन समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 12.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कालन्द्री को दिनांक 18.12.1949 को पट्टे जारी करने का अधिकार था। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, कालन्द्री द्वारा दिनांक 18.12.1949 को 84 प्लॉटो के पट्टे जारी किये गये थे उक्त जारी भूखंडो पर किसी का कब्जा नही होने से सरकारी अस्पताल व विद्यालय बनने के पश्चात् कालन्द्री द्वारा जारी पट्टे कब निरस्त किये गये थे उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, कालन्द्री राजपुताना राज्य में कब शामिल हुआ व राजपुताना राज्य राजस्थान राज्य में कब मर्ज हुए उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि एवं कालन्द्री द्वारा शा. कानमल पुत्र श्री कपुरचंद के नाम जारी पट्टा संख्या 55 प्लोट नम्बर 67 इन समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner